

दिनांक—15.09.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में विभाग अन्तर्गत संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की विवरणी निम्नवत् है:-

1. श्री नित्यानन्द प्रसाद, अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव(मु0)
2. श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव
4. श्री दयाशंकर प्रसाद, मुख्य अभियंता(दक्षिण बिहार)
5. श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)
6. VC के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुये।

- अप्रत्यानुपातिक धनोपार्जन से संबंधित वाद में श्री उमेश कुमार सिंह, तत0 कार्यपालक अभियंता(यांत्रिक) नगर विकास एवं आवास विभाग में प्रतिनियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर बेऊर केन्द्रिय कारा में हस्तगत कराया गया, जिसके आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा कारा में रहने के कारण बचाव बयान समर्पित करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी। आरोपी पदाधिकारी को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।
निर्देश—बचाव बयान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कारा अधीक्षक के माध्यम से बचाव बयान समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

अनुपालन— अपर सचिव

- विभागीय स्तर पर कुल 51 विभागीय कार्यवाही संस्थित है। जिसमे से 08 मामलों में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। 43 मामलों में विभागीय पदाधिकारियों के स्तर से सुनवाई की जा रही है।
- अपर सचिव के द्वारा बतलाया गया कि उनके स्तर पर चल रही 16 विभागीय कार्यवाहियों में 06 में सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, जिसमें जांच प्रतिवेदन के अभिलेखन की कार्रवाई की जा रही है। 04 मामलों में जांच प्रतिवेदन प्राप्त कराया जा चुका है। शेष 06 मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में है।

निर्देश— सुनवाई पूर्ण हो चुकी 06 मामलों में जांच प्रतिवेदन 07 दिनों के अंदर विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। शेष मामलों में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुये अगले माह के अंत तक करते हुये जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

अनुपालन— अपर सचिव

- अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव(मु0) के द्वारा बताया गया कि उनके स्तर पर चल रही 02 विभागीय कार्यवाही में सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।

निर्देश—समय जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

अनुपालन— अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव(मु0)

- मुख्य अभियंता(दक्षिण बिहार) के द्वारा बतलाया गया कि उनके स्तर पर चल रही 07 विभागीय कार्यवाहियों संस्थित है। 04 मामलों में समर्पित बचाव बयान पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का प्रतिउत्तर प्राप्त है।

निर्देश— नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुये अगले माह के अंत तक करते हुये जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

अनुपालन— मुख्य अभियंता(दक्षिण बिहार)

- मुख्य अभियंता(अनुश्रवण) के द्वारा बतलाया गया कि उनके स्तर पर चल रही 06 विभागीय कार्यवाहियों में 05 मामलों में समर्पित बचाव बयान पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का प्रतिउत्तर

प्राप्त है। शेष 01 मामलों में परीक्षण/प्रतिपरीक्षण की कार्यवाई सम्पन्न की जा चुकी है।
निदेश— नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुये अगले माह के अंत तक करते हुये जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन— मुख्य अभियंता(अनुश्रवण)

- मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र के द्वारा बतलाया गया कि उनके स्तर पर चल रही 07 विभागीय कार्यवाहियों में 04 मामलों में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान समर्पित किया जा चुका है। 01 मामलों में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है।

निदेश— नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुये अगले माह के अंत तक जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन— मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र

- अधीक्षण अभियंता, भागलपुर अंचल के द्वारा बतलाया गया कि उनके स्तर पर चल रही 01 विभागीय कार्यवाही में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है।

निदेश— नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुये अगले माह के अंत तक करते हुये जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन— अधीक्षण अभियंता, भागलपुर अंचल

- कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व के द्वारा बतलाया गया कि उनके स्तर पर चल रही 01 विभागीय कार्यवाही में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान समर्पित कर दिया गया है।

निदेश— नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुये अगले माह के अंत तक करते हुये जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन— कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व

- अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर अंचल के द्वारा बतलाया गया कि उनके स्तर पर चल रही 02 विभागीय कार्यवाही में से 01 में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है एवं 01 में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान समर्पित किया गया है।

निदेश— नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुये अगले माह के अंत तक करते हुये जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

- तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग से प्राप्त कर्मा भगवानपुर जलापूर्ति योजना से संबंधित आरोप पर कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद को 07 दिनों के अंदर विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन— कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद

- तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग से प्राप्त सिमरी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना से संबंधित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, बक्सर को 07 दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन— कार्यपालक अभियंता, बक्सर

- तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग से प्राप्त मटिहानी ग्रामीण जलापूर्ति योजना से संबंधित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय को 07 दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन— कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय

- तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग से प्राप्त मोतिहारी प्रमंडल अन्तर्गत 61 कुओं के जीर्णोद्धार के मरम्मत में अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी को 07 दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन— कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी

- तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है जिसे अविलंब उपस्थापित करने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन— प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा—05/11

- निगरानी पोर्टल से प्राप्त परिवादों से संबंधित 04 मामलों में मुख्य अभियंता पटना प्रक्षेत्र को 07 दिनों में अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।
 - निगरानी पोर्टल परिवाद से संबंधित प्राप्त परिवादों में मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र द्वारा जानकारी दी गयी की परिवाद का विषय वस्तु उनके प्रक्षेत्र से आच्छादित नहीं है।
- निदेश—** 07 दिनों में अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

अनुपालन— मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र

- निगरानी पोर्टल से प्राप्त परिवाद में अधीक्षण अभियंता, आरा को प्राप्त परिवाद के संबंध में 07 दिनों में अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।
- निगरानी पोर्टल से प्राप्त परिवाद में अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर अंचल द्वारा जानकारी दी गयी की उनके द्वारा परिवाद मो0 कमरे आलम के द्वारा दिया गया परिवाद में प्रतिवेदन 02 दिनों में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय अंचल/अधीक्षण अभियंता, सासाराम अंचल/कार्यपालक अभियंता, बिहारशरीफ/ कार्यपालक अभियंता, गयाजी/ कार्यपालक अभियंता, जमुई/ कार्यपालक अभियंता, मुंगेर को निदेशित किया गया कि 07 दिनों के अंदर प्राप्त परिवाद का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(बी0 कार्तिकेय धनजी)

सचिव

ज्ञापांक..... 140

पटना/दिनांक.....16-09-2026

प्रतिलिपि:—कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, आरा, बक्सर, जमुई, बिहारशरीफ, गयाजी/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेगूसराय, सासाराम/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पटना, भागलपुर, प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार,
पटना

ज्ञापांक.....140

पटना/दिनांक.....16-09-2026

प्रतिलिपि:—अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव(मु0)/अपर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(दक्षिण बिहार/अनुश्रवण)/आई0टी0 मैनेजर/सभी संबंधित पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार,
पटना